

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1296

दिनांक 27.07.2021/ 5 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

1296. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इस समय देश के कई राज्यों में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में किसी विरोध या संघर्ष की कोई सूचना मिली है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश के अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निवारण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)

(क) और (ख): उपलब्ध सूचना के अनुसार, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, असम-मेघालय और असम-मिजोरम के बीच सीमाओं के निर्धारण के फलस्वरूप सीमा विवाद पैदा हुए हैं तथा उनके बीच क्षेत्र संबंधी दावे एवं प्रति-दावे किए गए हैं।

(ग) और (घ): कुछ विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में यदा-कदा विरोध और वहां हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट मिली है।

(ङ): केंद्र सरकार का लगातार यह दृष्टिकोण रहा है कि अंतर-राज्य विवाद केवल संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सुलझ सकें और विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान परस्पर समझ की भावना से करने के लिए केंद्र सरकार केवल सुविधा-प्रदाता के रूप में कार्य करे।
